किस्म मुकदमा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 10/2022

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
02.01.2023	प्रार्थी चन्द्राराम की ओर से श्री नरेन्द्र गौड़ एडवोकेट जरिये वकालतनामा उपस्थित। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान कथन किया कि उक्त पत्रावली दिनांक 11.10.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है। प्रार्थी जब भी उक्त पत्रावली के संबध मे अपने अधिवक्ता से पूछताछ करता तो कहा जाता कि आपको कोर्ट में आने की आवश्यकता नही है आपको सूचना देकर बुला लिया जायेगा। इस पर प्रार्थी विश्वास करता रहा। प्रार्थी दिनांक 16.11.2022 को अधिवक्ता से उक्त प्रकरण में जानकारी चाही तो अधिवक्ता सीट पर मिला नही, तब प्रार्थी ने अधिवक्ता नवलाराम से सम्पर्क कर पत्रावली जानकारी ली तो प्रथम जानकारी में आया कि पत्रावली दिनांक 11.10.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण मे जानबूझकर या लापरवाहीवश अनुपस्थित नही रहा है। धारा –5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सलग्न है। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली को रेस्टोर किया जावे। हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र एवं बहस पर मनन किया। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र तथा बहस के आधार पर न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.10.2022 को रिकॉल किया जाकर अपील को रेस्टोर किया जाता है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल अपील के साथ सलग्न हो। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	